

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 136/2020

शरमा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. नीलोफर कपूर पत्नि शहबाद, जाति लुहार, निवासी नया वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

एवं

अपील संख्या 145/2020

शरमा पुत्र अश्विनी कुमार शर्मा, जाति ब्राह्मण, निवासी वार्ड नं0 17, चिडावा, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

1. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी चिडावा एवं एस0डी0एम0, चिडावा, जिला झुंझुनू।
2. महरूनिशा पत्नि सलमान, जाति लुहार, निवासी नया वार्ड नं0 6, चिडावा, जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील अधीन 17 बी The Rajasthan Municipalities Registration of Electors 1974 खिलाफ आदेश दिनांक 07.07.2020 निर्वाचन निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी नगर पालिका चिडावा एवं एस0डी0एम0 चिडावा बाबत रेस्पोजेन्ट नं0 2 का नाम नगर पालिका चिडावा के वार्ड नं0 18 की सदस्यता सूची में नाम जोड़ने के विरुद्ध अपील।

उपस्थित

1. मो0 खादिम, एडवोकेट— अपीलान्त की ओर से
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक— रेस्पोजेन्ट सं0 1 की ओर से
3. श्री संजय सैनी, एडवोकेट— रेस्पोजेन्ट सं0 2 की ओर से

10

न्यायालय झुंझुनू

आदेश

दिनांक 26.10.2020

उक्त विषयक अपीले विद्वान निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0ओ0) चिडावा के आदेश के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ सुनवाई पर ली गई। संक्षेप में विवरण अपील अपीलान्तगण के अनुसार इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.07.2020 खिलाफ कानून है। रेस्पोंडेन्टगण नम्बर 2 वार्ड नं0 6 के मूल निवासी है एवं वार्ड नं0 17 में निवास नहीं करते है। वार्ड नम्बर 17 में जो फार्म नम्बर 3 नाम जुडवाने का पेश किया गया है उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड व राशन कार्ड भी वार्ड नं0 6 के है। किन्तु इसके बावजूद रेस्पोंडेन्ट सं0 1 ने बिना दस्तावेजों के नौर किये रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 के नाम वार्ड नं0 17 की वोटर लिस्ट में क्रमांक क्रमशः 758, 749 पर जोड दिये जा चुके है। अतः अपील मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 के नाम नगरपालिका के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम संख्या क्रमशः 758, 749 से हटाया जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेन्टगण नं0 2 न तो वार्ड नं0 17 में निवास नहीं करते है और न ही वार्ड नं0 17 में इनके कोई दस्तावेज बने हुए है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर रेस्पोंडेन्टगण नं0 2 के नाम नगरपालिका चिडावा के वार्ड नं0 17 की निर्वाचन नामावली 2020 के क्रम सं0 क्रमशः 758, 749 से नाम हटाये जावे।

रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 के वकील ने वकील अपीलान्त के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 के मकान चिडावा में दो जगह नहीं है। यदि उनका नाम वार्ड नं0 17 से हटाया जाता है तो वे वकील से वंचित हो जायेंगे। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 के नाम नगरपालिका चिडावा के वार्ड नं0 17 की मतदाता सूची में यथावत रखे जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक (वकील रेस्पोंडेन्ट सं0 1) ने बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलान्त के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के आधार पर अदालत मातहत ने जो निर्णय किया है वह विधिनुकूल है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 के नाम नगरपालिका चिडावा के वार्ड नम्बर 17 की मतदाता सूची में यथावत रखे जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। प्रस्तुत अपीले एक ही वार्ड, एक ही स्थान की होने के कारण एक साथ निर्णित की जाती है। अपीलों का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किये जाते है। बी0एल0ओ0 की रिपोर्ट के अनुसार रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 नम्बर नगरपालिका चिडावा के वार्ड नं0 17 में ही निवास करते है। अन्य वार्ड में उक्त रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 का मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस0डी0एम0) चिडावा द्वारा पारित आदेश उचित है। अतः अपीलों का निर्णय मैरिट के आधार पर किया जाकर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जाता है। रेस्पोंडेन्टगण सं0 2 का नाम नगरपालिका चिडावा की वार्ड नं0 17 की मतदाता सूची में यथावत रखा जावे। मातहत रेकार्ड आदेश प्रति सहित कोटवा जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फ़ैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 26.10.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यू0डी0खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर, झुंझुनू

26/10/2020